

सेवा में,

प्रधान
श्री श्री मैट्रोपॉलिटन विद्या केंद्र सिंदरी गाजियाबाद
~~गाजियाबाद~~ अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय,
गाजियाबाद।

पत्रांक / तिथि/ **7520-21 / 99-2000 दिनांक 27-11-99**

विषय: **आतासकीय प्राथमिक विद्यालयों की अस्थायी मान्यता हेतु शर्तों को सरलीकरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 11/03/99 तारीख 3090 आतास शिक्षा 161 अनुभाग संख्या 1873 /15-6-98 -13 स्ल. 71 /89 तदनुसार दिनांक 10 सितम्बर 1998 के संदर्भ में सूच्य है कि अस्थायी मान्यता की शर्तों को सरलीकरण किए जाने के आशय से आतासदेस संख्या 1073 /15-6-98-13 स्ल. 171 /89 दिनांक 13 फरवरी 1998 के प्र. में 3090 वेतक शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 13 उप धारा 111 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते महासचिव राज्यापन सांस्कृतिक प्रभाव से अस्थायी मान्यता के प्रकरणों में निम्न प्राविधान लिये जाने की स्वीकृति सख्त प्रदान करते हैं।

1.क। आतासकीय प्राथमिक विद्यालयों को दी गई अस्थायी मान्यता की स्थाई प्रकृति की होगी तथा इस निमित्त प्रतिवर्ष नवोन्निर्माण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

1.ख। आतासकीय प्राथमिक विद्यालयों जिन्हें अस्थायी मान्यता प्रदान की गई है की 5 वर्ष में स्थाई मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थाई मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।

चूंकि उपरोक्तानुसार स्थाई मान्यता की शर्तों को निर्धारित अधि में पूर्ण कर स्थाई मान्यता हेतु इस कार्यालय को निर्धारित प्रारम्भ पर आवेदन करना अनिवार्य करें निर्धारित अधि व्यतीत हो जाने के पश्चात यदि आपके द्वारा प्रतिबन्धों की पूर्ति कर स्थाई मान्यता प्राप्त नहीं की गई तो आपके विद्यालय की अस्थायी मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा इस निमित्त आपको इस कार्यालय स्तर से किसी पूर्व नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

अधीनस्थ
[Signature]

। रणा स्त 0 के "सुम"।

पत्रांक / तिथि/ **7520-21 / 99-2000 दिनांक तद।**
प्रतिनिधि सेवा में सम्स्त महासचिव वेतक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

। रणा स्त 0 के सुम।
जिला वैदिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।